



नई दिल्ली अपनी महिला सहकर्मी क यौन उत्पी न

करने के आरोपी तरूण तेजपाल ने बदली रणनीतिकेतहत दिल्ली उच्च न्यायालय से आज अपनी जमानत याचकि वापस ले ली और कहा कि वह “उचित नविवरण केला उचित अदालत” में जागे

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनके जमानत याचकि पर आदेश पारित करने से कदनि पहले तेजपाल केवकील ने यह याचकि डाली जिस पर न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने याचकि के अनुमति दे दी न्यायमूर्तिगुप्ता ने क्त मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

तेजपाल की तरफसे उपस्थित होने वाले वकील संदीप कपूर ने कहा, “हमने न्यायाधीश से कहा कि हम उपयुक्त नविवरण केला उपयुक्त अदालत जाने की खातरि इसे वापस ले रहे है जिसमें अग्रिम जमानत भी शामिल है और अदालत ने याचकि के अनुमति दे दी ”

अपने खिलाफयौन उत्पी न क आरोप लगने केबाद तेजपाल छह महीने केला तहलक केप्रधान संपादकपद से हट गे थे

मामले में गोवा पुलिस द्वारा गरिप्तार की जाने केभय से तेजपाल ने उच्च न्यायालय क दरवाजा खटखटाकर अग्रिम जमानत या ट्रांजिटि बेल की मांग की थी

गोवा पुलिस ने उन्हें आज अपराहन तीन बजे तकअपने समक्ष उपस्थित होने क समन जारी किया था

इस बीच तेजपाल ने गोवा पुलिस के पत्र लखिकर कहा कि वह जांच में सहयोग करने के तैयार है और उपस्थित होने केला दो दिनों क वक्त मांगा

उन्होंने कहा कि वह शनिवार दोपहर तक गोवा पहुंचेंगे □

(भाषा)